



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

### आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-164

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 288198 दिनांक 18/03/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Akanksha Gupta W/o Vijay Kumar Gupta	श्रीमती गीता देवी अग्रवाल पत्नी श्री मुरारी लाल अग्रवाल	SC122	40.50 SQ. METER	JDA	SWARAN VIHAR	Name Transfer	आवेदिका श्रीमती आकांक्षा गुप्ता पत्नी श्री विजय कुमार गुप्ता द्वारा जविप्रा की योजना स्वर्ण विहार के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एससी-122 क्षेत्रफल 40.50 व0मी0 का नाम हस्तान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा क्रमांक 7389 दिनांक 06.10.2023 को श्रीमती गीता देवी अग्रवाल पत्नी श्री मुरारी लाल अग्रवाल के नाम जारी किया गया था। लीजधारक श्रीमती गीता देवी अग्रवाल द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								01.11.2023 के माध्यम से श्री खूबचन्द थावानी पुत्र श्री विशन दास एवं श्री भावेश थावानी पुत्र श्री विजय थावानी को बेचान किया गया है। क्रेता श्री खूबचन्द थावानी एवं श्री भावेश थावानी द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.02.2025 के माध्यम से श्रीमती आकांक्षा गुप्ता पत्नी श्री विजय कुमार गुप्ता को बेचान किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

### प्रतिलिपि:-

1. Akanksha Gupta W/o Vijay Kumar Gupta को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

### नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतिपाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |